


नोटिस-06 / 2024**विषय: लोकोमोटिव में VCD सम्बंधित मॉडिफिकेशन ।**

लोकोमोटिव में कार्य कर रहे कू की सतर्कता की निगरानी हेतु VCD नामक एक डिवाइस का उपयोग किया जाता है। चालक द्वारा इस डिवाइस को प्रत्येक मिनट में एकनॉलेज करना अनिवार्य होता है, और यदि चालक ऐसा करने में विफल रहता है, तो यह सुरक्षा की दृष्टि से VCD पेनल्टी ब्रेक लगाकर गाड़ी को खड़ी कर देता है ताकि कोई अप्रिय घटना से बचा जा सके ।

हाल ही में ऐसी घटना हुई जिसमें यह देखा गया कि निंद्रा के दौरान भी चालक आदतन रूप से पैर से PVCD के माध्यम से VCD को एकनॉलेज करता रहा, जो की SPAD जैसी अप्रिय घटना का कारण बना । इस समस्या का हल करने हेतु, कई शेड के द्वारा कुछ लोकोमोटिव में VCD सम्बंधित मॉडिफिकेशन किये गए हैं, जिससे कि चालक के द्वारा आदतन रूप से PVCD के माध्यम से VCD को एकनॉलेज न किया जा सके और SPAD जैसी अप्रिय घटना से बचा जा सके।

मॉडिफिकेशन के अनुसार, दोनों कैब में PVCD फुट स्विच को हटा दिया गया है और इसके बजाय पैनल-A पर लगे LSVW नामक पुश बटन को मॉडिफाई करके इल्युमिनेटेड BPVCD/LSVW बना दिया गया है, जिसमें LSVW लैंप और विजिलेंस एकनॉलेजमेंट दोनों की सुविधाएं हैं। VCD को एकनॉलेज करने हेतु अब पुश बटन BPVCD/LSVW का उपयोग करना है । इसके अलावा, यदि किसी तकनीकी कारणवश BPVCD के माध्यम से विजिलेंस वार्निंग को एकनॉलेज नहीं किया जा सके, तो एक अन्य पुश बटन BPVG/BPVR (A-पैनल) पर प्रदान किया गया है जिसका उपयोग करके विजिलेंस वार्निंग को एकनॉलेज किया जा सकता है।

इस संबंध में, सभी मुख्य लोको निरीक्षकों को यह निर्देश दिए जाते हैं कि अपने मनोनीत/गैर-मनोनीत रनिंग स्टाफ को काउंसिल करें कि यदि किसी लोकोमोटिव में चालक को उपरोक्त मॉडिफिकेशन मिलें तो वह उपरोक्त उल्लेखित दिशा निर्देशों के अनुसार ही VCD को एकनॉलेज करें । काउंसिलिंग की रिपोर्ट को मंडल कार्यालय में दिनांक 20.11.2024 को प्रस्तुत करें ।


वरिष्ठ मण्डल विद्युत अभियंता/परिचालन

प्रतिलिपि :-

- मण्डल रेल प्रबंधक/मण्डल कार्यालय/नई दिल्ली/उत्तर रेलवे-सूचनार्थ ।
- मुख्य विद्युत अभियंता/परिचालन/उत्तर रेलवे, बड़ौदा हाऊस, नई दिल्ली – सूचनार्थ ।
- अपर मण्डल रेल प्रबंधक/परिचालन/नई दिल्ली/उत्तर रेलवे-सूचनार्थ ।
- मुख्य विद्युत लोको अभियंता/उत्तर रेलवे, बड़ौदा हाऊस, नई दिल्ली – सूचनार्थ ।
- मण्डल राजभाषा अधिकारी/मण्डल कार्यालय/नई दिल्ली/उत्तर रेलवे-सूचनार्थ ।
- प्रधानाचार्य/प्रशिक्षण केन्द्र – गाजियाबाद/शकुरबस्ती/तुगलकाबाद ।
- समस्त मुख्य लोको निरीक्षक/दिल्ली मण्डल – आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- समस्त लोको लॉबी नोटिस बोर्ड- आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- बेसिक प्रशिक्षण केन्द्र /तगलकाबाद /उत्तर रेलवे-आवश्यक कार्यवाही हेतु ।